अनुसूची 14—प्रपत्र सं0 562

# अंचल अधिकारी का कार्यालय, सोनुआ ।

## आदेश फलक

[illegible] नियम 129)

अतिक्रमण अभिलेख सं0 22 / 2020–2021

| आदेश के क्रम सं0 और तारीख | आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर | आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 12-11-20 | राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक, सोनुआ के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार मौजा विन्का थाना नं0 –143, खाता सं0 –109, प्लॉट सं0 – 453 रकबा – 0.02 ए0 किस्म जमीन–पुरानी परती कदीम आबाद जो हाल सर्वे खतियान में अनाबाद झारखण्ड सरकार के गैर मजरूआ खास भूमि है । उक्त भूमि में श्री हिम्मतलाल महतो पिता – जोतमोहन महतो निवासी विन्का के द्वारा अवैध रूप से खलिहान का निर्माण किया जा रहा है ।<br>अंचल अमीन को निर्देश दिया जाता है कि अतिक्रमित भू–खण्ड का ट्रेस नक्शा प्रस्तुत करें । झारखण्ड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत अतिक्रमणकारी को नोटिस निर्गत करें ।<br>अभिलेख दिनांक 26-11-2020 को उपस्थापित करें ।<br>[illegible]<br><br>अंचल अधिकारी<br>सोनुआ ।<br><br>अंचल अधिकारी<br>सोनुआ । | |

| क्र० सं० | पदाधिकारी का आदेश एवं उनकी कार्रवाई | |
|---|---|---|
| 28.11.2020 | अभिलेख उपस्थापित। अमीन के द्वारा प्रश्नगत भूमि का ट्रेरा नक्शा प्राप्त है। अतिक्रमणकारी श्री हिम्मत लाल महतो, पिता— जीतमोहन महतो, निवासी विनका द्वारा उपस्थित होकर अनुरोध किया है कि उनके द्वारा मौजा— विनका के खाता— 109, खेसरा सं०— 452 रकवा 0.02 ए० भूमि पर अस्थायी रूप से खलियान का निर्माण किया गया है, जिसे वो जनवरी 2021 के प्रथम सप्ताह में खाली कर देंगे। चूंकि सरकारी भूमि पर खलियान का निर्माण अस्थायी रूप से किया गया है<br><br>अतः अतिक्रमणकारी के आवेदन पर विचार करते हुए उन्हे अतिक्रमण हटाने हेतु एक माह का समय दिया जाता है। एक माह के पश्चात राजस्व उप निरीक्षक का प्रतिवेदन प्राप्त करें। अभिलेख दिनांक— 07.01.2021 को उपस्थापित करें।<br><br>लेखापित<br>28/11/2020<br>अंचल अधिकारी<br>सोनुआ<br><br>28/11/2020<br>अंचल अधिकारी<br>सोनुआ। | |
| 7.1.2021 | अभिलेख उपस्थापित किया गया । संबंधित राजस्व उप निरीक्षक का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। अवलोकन किया। जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा— विनका, थाना नं०— 140, खाता नं०— 109, खेसरा नं०— 452 रकवा— 0.02 ए० भूमि से अतिक्रमण हटा दिया गया है, तथा वर्तमान में भूमि खाली है।<br><br>अतः वाद की कारवाई समाप्त की जाती है।<br><br>लेखापित<br>07/01/21<br>अंचल अधिकारी<br>सोनुआ<br><br>07/01/21<br>अंचल अधिकारी<br>सोनुआ। | |

Digitally signed by localhost
Date: 2025.04.11 10:45:28 +05:30
Location: 10.93.135.130